न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 127/2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/239**
दायर दिनांक :– 06.06.2022 **निर्णय दिनांक :– 17.10.2025**

1. नरेश पुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
2. मनीषा पुत्री अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
3. हवा पुत्री अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
4. बेबी पुत्री मनोहरराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
5. सुमन पुत्री मनोहरराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
6. पूजा पुत्री मनोहरराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
7. धापू पुत्री मनोहरराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
8. भावना पुत्री मनोहरराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
   नाबालिग जरिये कुदरती वली माता भंवरी देवी पत्नी मनोहरराम
9. ज्योति पुत्री श्रीराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
10. रविना पुत्री श्रीराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
11. नवदीप पुत्र श्रीराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. अर्जुनराम पुत्र हरूराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
2. मनोहरराम पुत्र हरूराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
3. श्रीराम पुत्र हरूराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
4. हवाकंवर पत्नी रामेश्वर जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. श्री प्रकाश विश्नोई अधि. अ.सं. 1 ता 3

–:: निर्णय ::–

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत

17/10/25

88,90,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है। उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की पुश्तैनी खातेदारीकी भूमि राजस्व ग्राम गणेशनगर पटवार हल्का चाखू तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 339 कुल रकबा 324–10 बीघा भूमि का आया हुआ है जो भूमि प्रार्थीगणों की पुश्तैनी है जिस पर वक्त बन्दोबस्त से पूर्व प्रार्थीगणों के पूर्वज पड़दादा सुरजनराम तथा सुरजनराम के पिता के कब्जा काश्त में थी। सेटलमेंट से पूर्व सुरजनराम का देहान्त हो जाने से उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के पड़दादा फूला के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई यह भूमि प्रार्थीगण की कई पीढियों से कब्जे काश्म में चली आ रही होने से प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी कब्जा काश्त की भूमि जो प्रार्थीगण के पड़दादा फूला पुत्र सुरजन के देहान्त होने से फूला के पुत्रों के नाम से जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 583 ग्राम चाखू के द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई जबकि विवादित भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होने प्रार्थीगण का विवादित भूमि में जन्म से ही खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो गये है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के 1/6 हिस्से की भूमि रकबा 54–01 बीघा भूमि में से प्रार्थीगण को संयुक्त रूप से 42–01 बीघा भूमि बंट में आती है तथा इसी हिस्से अनुसार प्रार्थीगण का अपने हिस्से में आने वाली भूमि पर शुरू से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रार्थीगण के पैतृक हिस्से में आने वाली भूमि का बेचान कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा यह घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करना आवश्यक होने से यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण को अपने पैतृक हिस्से की भूमि भूमि से बेदखल करने की पूरी–पूरी संभावना होने से प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की और से अधिवक्ता प्रकाश विश्नोई ने मूल वाद वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर इनका जवाब बंद किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा, नामान्तरकरण इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का

12/10/25

अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम गणेशनगर पटवार हल्का चाखू तहसील बाप के खाता संख्या 179 सम्वत् 2076–2079 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 व अन्य वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सह खातेदार है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,90,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि को पैतृक भूमि मानते हुवे उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का पैतृक हक हिस्सा बनता है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही तय किया जा सकता है।

अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना–पत्र और जमाबंदी, नामान्तरकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित काश्तकार है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपने प्राथमिक अधिकारों यथा आराजी के उपयोग–उपभोग, बैक ऋण और हक व हिस्से की हदतक बेचान आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत धारा 88,90,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

17/10/24

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को लिखवाया जाकरे खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

17/10/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)